झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
पंचम् (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक-15.03.2021 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री लोबिन हेम्ब्रम,स0वि0स0 स्टीफन मराण्डी, स0वि0स0 श्री सोनाराम सिंकू स0वि0स0	गोड्डा जिला अन्तर्गत बोआरीजोर प्रखण्ड के 6 (छः) पंचायत बरहेट विधान सभा अन्तर्गत आता है। ये सभी छः पंचायत राजाभीठा थानान्तर्गत आते हैं। इस क्षेत्र के ग्रामीणों का प्रखण्ड- बोआरीजोर लगभग 70 कि0मी0 दूर अवस्थित है जिस कारण इन क्षेत्र के ग्रामीणों को आवागमन में काफी कठिनाई होती है जिससे ये सभी तपकों के लोग परेशान रहते है। विदित हो कि राजाभीठा थाना क्षेत्रान्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के गरीब/लाचार पहाड़ एवं पहाड़ के तराईयों में बसे हैं ये सभी को सरकार के किसी भी सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों का लाभ से वंचित रहते हैं। प्रखण्ड मुख्यालय कार्यालय आवागमन के लिए वाहनों का परिचालन भी न के बराबर होता है। राजाभीठा थाना क्षेत्र में नया प्रखण्ड बनाने की आमजनों की माँग वर्षों से की जा रही है। अतः इन क्षेत्रों के स्थिति, परिस्थिति एवं भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए वर्षों से की जा रही माँग के आलोक में बरहेट के छः पंचायत समेत आस-पास के	ग्रामीण विकास

01.	02.	03.	04.
		आस-पास के अन्य पंचायत को मिलाकर राजाभीठा को प्रखण्ड बनाने की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते है।	
02-	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, स0वि0स0 अमर कुमार बाउरी स0वि0स0 श्री कोचे मुण्डा स0वि0स0	राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में यह देखा जा रहा है कि भू- अभिलेखों से संबंधित ऑनलाईन का काम सही से नहीं हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में खास कर जहाँ नया खतियान फाइनल हो गया है, वहाँ पंचायती या आपसी मौखिक बँटवारा में प्राप्त जोत का हिस्सा भू-स्वामी का वास्तविक दखल हिस्सा दूसरे भू-स्वामी के नाम में दर्ज हो गया है। वैसे भू-राजस्व स्वामी जिनके भूमि कई एकड़ों में है। खतियान में दर्शाये गये खाता एवं प्लॉट संख्या को कर्मचारियों के द्वारा पूर्व में Manual जमाबंदी रसीद काटते हुए भू-राजस्व स्वामी की वसूली की जाती रही है, परन्तु ऑनलाईन रसीद काटने के क्रम में उक्त जमाबंदी रसीद में दर्शाये गये खाता संख्या एवं प्लॉट संख्या में भिन्नता होने के बावजुद भू-राजस्व स्वामी की वसूली की जा रही है। आमजन को पता भी नहीं होता है कि उनका पुराना प्लॉट किस नया प्लॉट में बदला गया है। साथ ही कम्प्यूटर आपरेटरों द्वारा गलत हिस्सेदारों के नाम पर ज्यादा रकबा दर्ज किया जा रहा है एवं Mutation Case Not Found लिखकर जमाबंदी को भविष्य के लिए संदिग्ध बनाया जा रहा है। जिससे गलत प्रवृत्ति वाले व्यक्ति इसका भरपूर फायदा बेच कर या ब्लैकमेल कर फायदा उठा रहे है। ऑनलाईन रसीद कटवाने के पश्चात् उक्त रसीद को पुनः भू-राजस्व के कर्मचारी से सत्यापित करवाने की बात लिखी रहती है जो तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः उपर्युक्त विषय पर यथाशीघ्र सुधार करने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते है।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार

01.	02.	03.	04.
03-	श्री दशरथ गागराई स०वि०स० श्री सुखराम उराँव स०वि०स०	मोमेन्टम झारखण्ड के नाम पर औद्योगिक इकाईयों को जमीन उपलब्ध कराने के क्रम में कई नियम-कानूनों को ताक में रखा गया। इसी कड़ी में सरायकेला-खरसावाँ जिला के दुगनी मौजा में रामकृष्णा फोर्जिंग लिमिटेड फेज-7 के लिए जमीन आवंटित की गयी। जो भूखंड इस कम्पनी को दिया गया वह पूर्व में दुगनी ग्राम के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को कृषि कार्य के लिए बंदोबस्ती की गयी थी। खेपा मुंडा, जहर घासी, बुरबा हो, हीरालाल घासी, किस्ट सरदार, बासु घासी, टुडूरू कारवा, हरेन हरिजन, राजबल्लभ घासी, बलिया हो, अधबु घासी आदि के नाम से दी गयी बंदोबस्ती को रद्द कर दिया गया। ये सभी लोग भूमिहीन है। बंदोबस्ती रद्द करने के पूर्व इनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गयी और न ही कम्पनी में नियोजन/नौकरी की गारंटी दी गयी है। औद्योगिक विकास के नाम पर पिछली सरकार ने बंदोबस्ती रद्द करने की गलत परंपरा की शुरूआत की। अगर ऐसी ही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में झारखण्ड के भूमिहीन आदिवासी मूलवासी जिन्हें जमीन बंदोबस्ती की गयी है, वे बेघर हो जाएंगे। अतएव ऊपर वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पूर्व की सरकार द्वारा रामाकृष्णा फोर्जिंग लिमिटेड को जमीन उपलब्ध कराने संबंधी निर्णय को रद्द करने एवं बंदोबस्त रैयतों के हितों की रक्षा करने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार
04-	श्री अमित कुमार मंडल, स०वि०स० नारायण दास स०वि०स० श्री कुशवाहा शशि भूषण मेहता स०वि०स०	जी०एस०-1 एवं जी०एस०-2 (प्रारंभिक परीक्षा के दो विषय) में उत्तीर्ण अंक जो कि 40 प्रतिशत है, औसत कर जोड़ा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि जी०एस०-2 झारखण्ड विषय विशेष है, यदि बाहरी अभ्यार्थी जी०एस०-2 में कम स्कोर करता है और जी०एस०-1	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

01.	02.	03.	04.
		में ज्यादा स्कोर कर औसत 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है, तो उसे उत्तीर्ण माना जायेगा जिससे स्थानीय युवाओं की सफलता की संभावना कम हो जाती है। यदि जी0एस0-2 में 40 प्रतिशत एवं जी0एस0-1 में 40 प्रतिशत (in each paper) अंक प्राप्त करना अनिवार्य किया जाता है तो स्थानीय युवकों को जे0पी0एस0सी0 में सफलता प्राप्त करने के ज्यादा अवसर प्राप्त होंगे। वर्त्तमान नियमावली में वैसे अभ्यर्थी जिनकी उम्र सीमा सरकार के लापरवाही एवं ससमय जी0पी0एस0सी0 परीक्षा आयोजित नहीं करने के कारण खत्म हो गई है वैसे अभ्यर्थियों के हित को देखते हुए अन्य राज्यों के तर्ज पर स्थानीय युवाओं जिन्होने उम्र सीमा का लाभ नहीं लिया है उनके लिए पाँच वर्ष की अवधि नियमावली में बढ़ाई जाय। अतः राज्य के युवा बेरोजगार अभ्यार्थियों के व्यापक लोकहित में सरकार जे0पी0एस0सी0 परीक्षा नियमावली में संशोधन कराने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं।	
05-	श्रीमती ममता देवी, स0वि0स0 श्री उमाशंकर अकेला स0वि0स0 श्री इरफान अंसारी, स0वि0स0	झारखण्ड राज्य खाद्य निगम गोदाम अंतर्गत रामगढ़ जिला के रामगढ़, गोला, चितरपुर, पतरातु तथा मांडू के गोदामों में दर्जनों मोटिया मजदूर जो अपनी पीठ पर बोरा लादकर सामान लोडिंग-अनलोडिंग करते है, उन्हें श्रम विभाग की अधिसूचना के तहत प्रति बोरा- 41-65 केजी के लिए निर्धारित दर 5.75 रू0 के बदले संवेदकों के द्वारा मात्र 4.50 रू0 प्रति बोरा ही दिया जाता है। विदित हो कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति से ताल्लुक रखने वाले मोटिया मजदूर जब संवेदको से निर्धारित दर के अनुरूप भुगतान की माँग करते है, तो	श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास

01.	02.	03.	04.
		संवेदक के द्वारा उन्हें काम से निकालने की धमकी दी जाती है। अतः मोटिया मजदूरों के हितार्थ उन्हें श्रम विभाग के द्वारा तय की गई दर के अनुरूप मजदूरी भुगतान कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं।	

राँची,
दिनांक- 15 मार्च, 2021 ई०।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०-प्र०व्या०-03/2021-1290/वि० स०, राँची, दिनांक- 12/03/2021

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा०सदस्यगण/ मा०मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/ ग्रामीण विकास विभाग/ राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, एवं श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०- प्र०व्या०-03/2021-1290/वि० स०, राँची, दिनांक- 12/03/2021

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा० अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

12/03/2021